न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 02/18 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2018/00004

उनवान

1. नरसी पुत्र श्री करन सिंह जाति जाट निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ओंकार सिंह पुत्र रामचन्द
2. चेतन } पुत्र बृजेन्द्र
3. दिगम्बर }
4. शिव सिंह }
5. कुबेर } पुत्र ओंकार सिंह
6. प्रदीप }

जाति जाट नि0 गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 17.11.2017 प्रकरण संख्या 141/17 उनवान नरसी बनात ओंकार सिंह आदि।

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्रपाल अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री दिनेश श्रीवास्तव अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–04.03.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 17.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी अपीलाण्ट की न्यारान्यूर खातेदारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु वह लट्ठ व ताकत के बल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। विवादित आराजी का अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं हैं एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है एवं ना ही विवादित आराजी को कभी अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के पक्ष में विक्रय किया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी का 30 वर्ष पूर्व विक्रय रैस्पो0 के पक्ष में किया था। सारहीन है क्योंकि 30 वर्ष पूर्व अपीलाण्ट नाबालिग था एवं नाबालिग को विक्रय करने का कोई अधिकार ही नहीं हैं एवं ना ही अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को विक्रय किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा निर्णित हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा-निर्णित होने के पश्चात् हस्तगत अपील स्वतः ही प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावे को निर्णित होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त तथ्य की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे उनके कथनो की पुष्टि होती हो। बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सारहीन हैं। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बयनामाओ से स्पष्ट साबित है कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी साविक खसरा नम्बरान 459 मिन, 506, 507, 508 का विक्रय रैस्पो0 को किया जा चुका है। अतः रैस्पो0 विवादित आराजी के सद्भावी क्रेतागण हैं। अपीलाण्ट की बहनो द्वारा भी विवादित आराजी बाबत् पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में दावा बउनवानी शान्तिदेवी बनाम नरसी प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2001 को खारिज किया जा चुका है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध अपील भी न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.08.2017 से खारिज हो चुकी है। पुनः तथ्यो को छुपाते हुये उसी विवादित आराजी पर दावा प्रस्तुत करना विधिसंगत नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में पुष्ट होता है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी रैस्पो0 के पक्ष में ही साबित होती हैं। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 17.11.2017 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04-03-2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.)